

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]
No. 528]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 721(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2014 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड (3) में,—

(i) उपखंड (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में, “गृहस्थी” शब्द के स्थान पर, “व्यक्ति या कोई गृहस्थी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (क) के परंतुक में, “गृहस्थी” शब्द के स्थान पर, “व्यक्ति या गृहस्थी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (1क) में, “व्यक्ति” शब्द के स्थान पर, “व्यक्ति या गृहस्थी” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपखंड (3) में, आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक, सिलेंडर में भरी हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय किसी व्यक्ति या गृहस्थी को तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे गृहस्थी का व्यक्ति, जिसके नाम पर घरेलू कनेक्शन जारी किया गया है”।

[सं. पी-17011/3/2010-विपणन]

डॉ. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित हुई थी और उसमें संख्यांक सा.का.नि. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 नवंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 655(अ), तारीख 10 सितंबर, 2009, संख्यांक सा.का.नि. 452(अ), तारीख 26 मई, 2010, संख्यांक सा.का.नि. 718(अ), तारीख 26 सितंबर, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 647(अ), तारीख 22 अगस्त, 2012, संख्यांक सा.का.नि. 791(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2012 और संख्यांक सा.का.नि. 781(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2013 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 14th October, 2014

G. S. R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) (Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3,—

(i) in sub-clause (1) —

(a) in the opening portion, for the word “household”, the words “person or a household” shall be substituted;

(b) in the proviso to item (a), for the word “household”, the words “person or household” shall be substituted.

(ii) in sub-clause (1A), for the word “person”, the words “person or household” shall be substituted.

(iii) in sub-clause (3), for the opening portion, the following shall be substituted, namely :—

“(3) No distributor of a Government Oil Company shall supply Liquefied Petroleum Gas filled in cylinder to any person or household unless the person of such household in whose name domestic connection has been issued”.

[No. P-17011/3/2010-Mkt.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended vide number G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002, number G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007, number G.S.R. 655(E), dated 10th September, 2009, number G.S.R. 452(E), dated 26th May, 2010, number G.S.R. 718(E), dated 26th September, 2011, number G.S.R. 647(E), dated 22nd August, 2012, number G.S.R. 791(E), dated 25th October, 2012 and number G.S.R. 781(E), dated 18th December, 2013.